भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

सं० : 576/2/2014/ईआरएस

दिनांक:3 जुलाई, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार,
पटना।

विषय: बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-बिहार में कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उर्दू भाषा में निर्वाचक नामावली-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1 जनवरी, 2015 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण वर्तमान में चल रहा है जिसमें निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 मई, 2015 को कर दिया गया है और अन्तिम प्रकाशन 31 जुलाई, 2015 को किया जाना निर्धारित है। प्रारूप निर्वाचक नामावलियों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में केवल हिंदी में प्रकाशित किया गया है।

हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, 18 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां उर्दू बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 20% से अधिक है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा मातृभाषा संबंधी वर्ष 2011 के जनगणना आंकडो को अभी जारी किया जाना है।

भारत निर्वाचन आयोग की नीति के अनुरूप तथा मतदाताओं को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी उपायों के रूप में आयोग निदेश देता है कि-

1. अंतिम प्रकाशन के तुरन्त पश्चात, किशनगंज जिले में शामिल 52-बहादुरगंज, 53-ठाकुरगंज, 54-किशनगंज, 55-कोचाधामन, अररिया जिले में शामिल 47-रानीगंज (अ.जा.), 48-फारबिसगंज, 49-अररिया, 50-जोकीहाट तथा 51-सिकटी, पूर्णिया जिले में शामिल 56-अमौर, 57-बायसी, 58-कसबा तथा 62-पूर्णिया, दरभंगा जिले में शामिल 76-गोड़ा बौराम, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 86-केवटी तथा 87-जाले की निर्वाचक नामावलियों को लिप्यन्तरण द्वारा उर्दू भाषा में भी तैयार किया जाएगा। लिप्यन्तरण की परिशुद्धता को ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए जो उर्दू भाषा में पूरी तरह निपुण हो। अंतिम प्रति लिए जाने से पहले सुझाए गए सुधारों को ठीक कर लिया जाए।
2. उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों की प्रत्येक की निर्वाचक नामावलियों के उर्दू रूपान्तर की एक प्रति सीडी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसे पीडीएफ के रूप में सीईओ, बिहार की वेबसाइट पर भी रखा जाए।
3. उपरोक्त लिप्यन्तरित उर्दू प्रति की एक प्रति मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फेसिलीटेशन डेस्क पर उपलब्ध होगी।
4. **किसी भी विवाद की स्थिति में, हिंदी रूपांतर प्रामाणिक रूपान्तर होगा।**

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजीव कुमार

(आर.के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव